

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1922]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 2014/भाद्र 28, 1936

No. 1922]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2014/BHADRA 28, 1936

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2014

का.आ. 2444(अ).— मेट्रो रेल (कार्यों का संनिर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 1 की उप-धारा (3) और मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार से परामर्श करने के बाद, एतद्वारा यह घोषित करती है कि उक्त अधिनियमों अर्थात् मेट्रो रेल (कार्यों का संनिर्माण) अधिनियम, 1978 और मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की प्रावधानों को क्रमशः इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर तथा नागपुर महानगर क्षेत्र तक विस्तार किया जाए।

[फा.सं. के-14011/13/2014— मेट्रो/एमआरटीएस-II]

बि. के. पति, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2014

S.O. 2444(E).— In exercise of the powers respectively conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978) and sub-section (2) of Section 1 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government, after consultation with the Government of Maharashtra, hereby declare that the provisions of said Acts, namely, the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978 and the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 shall respectively extend to the Nagpur City and metropolitan area of Nagpur in the State of Maharashtra with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. K-14011/13/2014-Metro/MRTS-II]

B. K. PATI, Under Secy.